न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/05/2026	2026/14	19.01.2026	11.05.2026

1. मुकेश पुत्र चतरू जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बुटियाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०

—प्रार्थी

बनाम

1. चतरू पुत्र भौरा जाति जांगिड ब्राह्मण
2. मुकेश यादव पुत्र भम्बोली जाति यादव
3. बृजबिहारी पुत्र चतरू जाति जांगिड ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बुटियाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज.
4. उप पंजीयक महोदय बडौदामेव जिला अलवर राज.

—अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01— श्री मूलचन्द चौधरी —वकील प्रार्थी
02— श्री सुखवीर यादव —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ. के प्रकरण बअनुवान मुकेश पुत्र चतरू बनाम चतरू पुत्र भौरा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मिसल नम्बर 02/103/2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज. में विचाराधीन है जिसमें विगत तारीख पेशी 20.01.2026 नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान मुकेश पुत्र चतरू बनाम चतरू पुत्र भौरा राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07—08—2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील हो चुकी है लेकिन उसके द्वारा जवाब पेश नही किया गया ओर प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 का गत तारीख पेशी दिनांक 06—05—2025 जवाब पेश कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10—06—2025 की नियत की गई। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 10—06—2025 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब खुलवाने बाबत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। जबकि कानून धारा 151 सीपीसी के तहत जवाब खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है। इसके उपरांत आगामी तारीख पेशी वास्ते जवाब व बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी नियत की जाती रही है किन्तु तारीख पेशी दिनांक 22—12—2025 को बिना कोई जवाब लिये और बिना कोई बहस सुनें प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिल्लत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करा कर खोला गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब खुलवाने के लिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि धारा 151 सीपीसी के प्रावधानो के

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

अनुसार जवाब खुलवाने हेतु प्रार्थनात्र पेश नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज था। किन्तु तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है।

अप्रार्थी सं.1 प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे है और प्रतिवादीगण के कहे अनुसार जल्दी जल्दी की तारीख पेशी नियत कर कार्यवाही कर रहे है। उक्त प्रकरण में दिनांक 12–11–2025 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 24–11–2025 व उसे पश्चात 08–12–2025 एवं दिनांक 08–12–2025 से आगामी तारीख पेशी 22–12–2025 एवं दिनांक 14–01–2025 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20–01–2026 नियत की गई है जो कि ऑर्डरशीट से स्पष्ट है। वादी अप्रार्थीगण संख्या 1 ला. 3 ने भी एलानिया तोर पर धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले हैं तथा हमने उनसे बातचीत कर ली है और शीघ्र ही वो वाद अस्वीकार कराके रहेगें। पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि उन पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ला. 3 का दवाब है और यह भी कहा कि वाद में कोई दमखम नही है, जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय वादी/प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करेगें कि जिस स्थिति में यह मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त मुकदमा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष विचाराधीन जिससे प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 02/103/24 बअनुवानी मुकेश पुत्र चतरू बनाम चतरू पुत्र भौरा व अन्य आगामी तारीख पेशी 20/01/2026 को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन झूठे व गलत तथ्यों के साथ दाखिल किया गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष एवं विधि–अनुसार सुनवाई न्यायालय की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय में उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से प्रकरण में छोटी तारीख पेशी लगाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियत से पेश किया गया है। दिनांक 22.12.2025 की आदेशिका अनुसार 500 रूपये कोस्ट पर प्रतिवादी नं. 2 का जवाब खोला जाकर जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब खोले जाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश होने पर वकुलाए फरीकेन की बहस सुनने के बाद नियमानुसार जवाब खोला गया है तथा जवाब पेश होने पर तनकीयात कायम की गई है। दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर मिले इसे ध्यान में रखते हुये न्यायाहित में जवाब पेश करने का अवसर दिया गया है। प्रकरण में 151 जा.दी. का प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार सुनवाई करते हुये दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रादान करते हुये प्रकरण में न्यायाहित में विधिसम्मत कार्यवाही के तहत प्रार्थना–पत्र 151 जा.दी. स्वीकार किया गया है। यदि प्रार्थी इससे व्यथित है तो नियमों में विहित रिती के अनुसरण में प्रार्थी उक्त आदेश की निगरानी/अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहते हैं फिर भी उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार कानूनन उलंघन नही किया जाकर विधि अनुसार सुनवाई की जा रही है एवं प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र

जिला कलेक्टर
अलवर (राज.)

व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। जिसरो प्रार्थी का प्रा0–पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)